


29.07.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया वादी वकील द्वारा वाद पत्र मे कोई कार्यवाही नही चाही जा रही है प्रकरण 2017 का है। वादी व वादी अधिवक्ता को पूर्व पेशी 25.01.2023 को कोष्ट पर अंतिम अवसर दिया गया था ओर नोट करवाया गया था उसी अनुसार वादी व वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपरिस्थ नही आये। वादी व वादी अधिवक्ता के उपरिस्थ नही आने के कारण वाद पत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।




सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़